

प्रेस नोट थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर दिनांक 11.09.2023

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर पैरामेडिकल संस्थान स्थापित कर उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाये जाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी गोरखपुर के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गुलरिहा मय पुलिस टीम को लगाया गया था। जिसके क्रम में थाना चौरीचौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 09/23 धारा 419/420/467/468/471/474/120बी/406/506 भादवि0 से संबंधित अभियुक्त पंकज पोरवाल पुत्र स्व0 सुरेन्द्र बाबू गुप्ता निवासी 15 गणेश नगर सुचेता थाना शाहगंज जनपद आगरा गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त पंकज पोरवाल द्वारा “अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट” के नाम से बोर्ड ऑफिस शाहगंज, आगरा में स्थापित कर अपने सह अभियुक्तों व कथित बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में फ्रेन्चाईजी देकर पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर/खुलवाकर A.N.M., G.D.A., MEDICAL DRESSER, C.M.S. & E.D , D.M.L.T, D.M.R.T., X-RAY/ E.C.G , C.M.L.T, C.C.C.E, DENTAL NURSING , DENTAL HYGIENIST , D.O.T.T , DIALYSIS TECHNICIAN , DIPLOMA IN HEALTH SANITARY , OPHTHALMIC ASSISTANT, D.P.T, H.D.H.H.M आदि कोर्स कराने के नाम पर मोटी रकम लेकर अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट व आयुष पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया के नाम से अवैध व कूटरचित अंक पत्र व प्रमाण पत्र देकर छात्र व छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में थाना चौरी चौरा पर मु0अ0सं0 09/23 धारा 419/420/467/468/471/474/120बी/406/506 भादवि पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना स्थानान्तरित होकर थाना गुलरिहा पर नियुक्त व0उ0नि0 शेष कुमार शर्मा को दी गयी। विवेचना के क्रम में यह पाया गया कि उपरोक्त कोर्स बिना किसी विधिक मान्यता के कराया जा रहा था जिसकी कोई भी शासकीय व गैर शासकीय संस्था में विधिक मान्यता नहीं है व जारी अंक पत्र व प्रमाण पत्र अवैध व कूटरचित है। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा पैरामेडिकल बोर्ड संचालित करने हेतु किसी भी सक्षम मेडिकल फैकल्टी के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति/रजिस्ट्रेशन प्राप्त नहीं किया गया है। जिसके आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गयी।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2013 से अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का संचालन आगरा में स्थित कार्यालय से किया जा रहा है।
- अब तक कुल 14 इंस्टीट्यूट /फ्रेन्चाईजी अवैध व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर खोले जाने की बात प्रकाश में आयी है। जो वर्तमान में 12 जनपदों में स्थापित व संचालित है।
- वर्ष 2013 से अब तक कुल 800 बच्चों का इन्ट्रोलमेन्ट किया गया है। वर्तमान समय में लगभग 200 बच्चे शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- फ्रेन्चाईजी देने के बावत 2 से 3 लाख रुपये सम्बन्धित पैरामेडिकल कॉलेज से लिया जाता था तथा प्रत्येक छात्र /छात्रा की प्रवेश फीस व परीक्षा फीस अलग से ली जाती है।
- अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का NCT दिल्ली / चिट फंड से रजिस्ट्रेशन कराया गया था, जिसमें कुल 13 पदाधिकारी हैं जिनका अभियुक्त पंकज पोरवाल से निम्न सम्बन्ध है-
 - (1) इन्दीवर पोरवाल (भाई), (2) कंचन पोरवाल (पत्नी), (3) जयवीर प्रसाद (चाचा), (4) अनिरुद्ध कुमार (मित्र), (5) नरेश कुमार (मित्र), (6) निखिल कुमार (मित्र) (7) कमलकान्त (मित्र), (8) कुलदीप वर्मा (मित्र), (9) सुरेन्द्र कुमार (मित्र), (10) रुची गुप्ता (सहयोगी), (11) दर्शन कुमार खट्टरी (मित्र), (12) प्रेमचन्द्र (मित्र), (13) मोहित कुमार (मित्र)

विभिन्न जनपदों में अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर संचालित पैरामेडिकल कालेज

1. जीवन छबि पैरा मेडिकल कालेज पता 62 नीम सराय पीडीए कालोनी मुण्डेरा प्रयागराज - संचालक निरंकार त्रिपाठी
2. शम्भूनाथ तिवारी कालेज ऑफ नर्सिंग गंगौली पुरा बाजार अयोध्या -संचालक चन्द्रदेव तिवारी
3. छत्रपति शिवाजी कालेज ऑफ साइन्स एण्ड पैरामेडिकल निकट हनुमान मंदिर महावीर लेन देवरिया -संचालक प्रशान्त कुमार कुशवाहा
4. वंश पैरा मेडिकल कालेज सिसागंज जनपद फिरोजाबाद- संचालक कमल किशोर
5. प्रतिभा पैरा मेडिकल एण्ड नर्सिंग कालेज ट्रस्ट देवरिया मीर देवरिया -संचालिका श्रीमती प्रतिभा सिंह
6. जननी पैरा मेडिकल नर्सिंग साइन्स निकट हनुमान चौराहा हाटा नगर पालिका परिषद कुशीनगर -संचालक विजय प्रताप सिंह
7. शौम्य साक्य पैरामेडिकल देवरिया- संचालक रमाकान्त कुशवाहा
8. माँ विन्धवासिनी पैरामेडिकल कालेज रानीडिहा जनपद गोरखपुर -संचालिका श्रीमती गिरिजा त्रिपाठी
9. अन्नपूर्णानन्द पैरामेडिकल चरजपुरा बैरिया मोड बलिया -संचालक गुप्तेश्वर पाण्डेय
10. रुद्रा पैरामेडिकल कालेज रामनगर मोड़ वाराणसी- संचालक डा० पवन साहनी
11. ऑल इण्डिया पैरामेडिकल उदौली घुणपुरा सीतापुर -संचालक राजीव विश्वास
12. सतीश चन्द्र इन्सीटीट्यूट चांदपुर शाहजहापुर- संचालक मुकेश शुक्ला
13. सांन हास्पिटल नरियावल अड्डा बरेली- संचालक डा० फहीम खान
14. वाशु पैरामेडिकल पावरस्टेशन के पास गंगा कालोनी नरौना बुलन्दशहर -संचालिका श्रीमती रुचि

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

पंकज पोरवाल पुत्र स्व० सुरेन्द्र बाबू गुप्ता निवासी 15 गणेश नगर सुचेता थाना शाहगंज जनपद आगरा

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु०अ०सं० 09/23 धारा 419/420/467/468/471/474/120बी/406/506 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक जय नारायण शुक्ला थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर
2. व०उ०नि० शेष कुमार शर्मा थाना गुलरिहा जनपद गोरखपुर

नोट- घटना का सफल अनावरण/अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा 25 हजार रुपये के ईनाम से पुरस्कृत किया गया ।